

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0
राजस्व अपील सं. 30/2024

अपीलार्थीगण –

बनाम

उत्तरदाता–

आरब पुत्र शेरू जाति मुसलमान
निवासी सारला तहसील सेड़वा
जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सेड़वा जिला
बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.04.2024 जो प्रकरण सं. 38/2024 में तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया गया।
उपस्थिति :-

1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.06.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण सं. 38/2024 सरकार बनाम आरब पुत्र शेरू में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का सारला द्वारा तहसीलदार सेड़वा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सारला के खसरा नम्बर 610/163 भूमि किस्म गैर मुमकीन गोचर में से 3000 फीट भूमि पर गैर सायल द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा-काश्त कर अतिक्रमण एवं कब्जा बाड़ कर ली है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किए, परंतु गैर सायल द्वारा अपने पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 30.04.2024 के द्वारा 3/- रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनांक 22.07.2024 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।



3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. हमने बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन मात्र से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने बाबत जवाबदावा व दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों ने अपीलांट के खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिया तथा अपीलांट को चार पांच दिन में जवाब व दस्तावेज पेश करने का कहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलांट को अनुपस्थित बताकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा अपीलांट का आबादी भूमि पर कब्जा है तथा अपना मकान बनाया हुआ है तथा जिसके अंदर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, इस कारण वर्तमान में अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाए बिना ही हल्का पटवारी द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर पेश किए गए मौखिक तथ्यों के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।
5. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि वर्तमान में अरसा 15 दिन पूर्व हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा तब हल्का पटवारी से पूछताछ करने पर अधीनस्थ न्यायालय से आदेश होने की जानकारी होने पर अपीलांट ने आलोच्य आदेश की प्रति दिनांक 08.07.2024 को प्राप्त की तब ही उक्त स्थिति व निर्णय का निश्चित ज्ञान हुआ है। ज्ञान की तिथि से अपील अंदर म्याद पेश है। किंतु जानकारी के अभाव में हुए सद्भाविक विलंब को क्षमा करने हेतु एवं अपील अंदर म्याद शुमार करने हेतु अलग से आवेदन अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. रेस्पोंडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।
7. हमने अधिवक्ता अपीलांट के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नम्बर 610/163 किस्म गैर



मुमकीन गोचर में से 3000 फीट भूमि पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी सारला द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलकर्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन मात्र से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने बाबत जवाबदावा व दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों ने अपीलांट के खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिया तथा अपीलांट को चार पांच दिन में जवाब व दस्तावेज पेश करने का कहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलांट को अनुपस्थित बताकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा अपीलांट का आबादी भूमि पर कब्जा है तथा अपना मकान बनाया हुआ है तथा जिसके अंदर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, इस कारण वर्तमान में अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाए बिना ही हल्का पटवारी द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर पेश किए गए मौखिक तथ्यों के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया। जहां तक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है तो हल्का पटवारी के संज्ञान में आने पर समस्त प्रकार की राजकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की सूचना/रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करने का पदीय दायित्व है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है एवं इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2026 के अनुसार आदिनांक तक अप्रार्थी का कब्जा उक्त खसरे पर है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने कब्जे के बाबत स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो दण्डादेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। जहां तक अपीलांट वादग्रस्त भूमि में लंबे समय से निवासरत होना बताते हैं, तो इसके लिए अपनी पात्रता अनुसार कब्जे का नियमीतीकरण/आवंटन हेतु पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।



राजस्व अपील/30/2024 आरब पुत्र शेरू बनाम तहसीलदार सेड़वा
फलस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन
तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के
परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व आधारहीन
तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



h

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

08/06/26

अपीलेंट के अधिवक्ता उप। अपीलेंट की यह अपील खरीज की जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर व बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं दाखिल दफ़तर हो।



अपर कलक्टर वाडमोर
(ए.डी.एम.)

12/6/26

पत्रावली आज स्वतः संज्ञान से प्रस्तुत हुई प्रकरण में पारित निर्णय का अवलोकन करने से पाया गया है कि अपीलेंट द्वारा लिपिकीय त्रुटि व अपीलाधीन प्रकरण की संख्या 38/2024 अंकित की गई। तदनुसार निर्णय में भी अशुद्ध रूप से 38/2024 अंकित हो गया, जबकि अपीलाधीन मूल पत्रावली में प्रकरण सं. 30/2024 है। इस प्रकार निर्णय में हुई त्रुटि का संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः निर्णय दि. 08/6/26 में अपीलाधीन प्रकरण सं. 38/2024 के स्थान पर 30/2024 अंकित कर संशोधन किया जाता है। शेष निर्णय अद्यावत रहेगा। संशोधन आदेश से अधीनस्थ तहसीलदाता सूचित हो।



अपर कलक्टर वाडमोर
(ए.डी.एम.)

